Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding road accident insurance plan for licensed vehicle drivers.

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): माननीय सभापति महोदय, देश में प्रतिदिन बड़े पैमाने पर सड़क दुर्घटना हो रही हैं, जिसमें लाइसेन्स धारी ड्राइवरों की प्रतिदिन मौतें हो जाती हैं। ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस जा करते समय दुर्घटना बीमा की व्यवस्था नहीं है। यदि कोई लाइसेन्स धारक ड्राइवर की दुर्घटना में मृत्यु हो है, तो दुर्घटना के पश्चात उसके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। जैसे कृषक दुर्घट बीमा, श्रमिक दुर्घटना बीमा, श्रम कार्ड धारकों का बीमा के तहत इनके आश्रित परिवारों को आर्थिक सहाय दी जाती है। किन्तु यदि कोई ड्राइविंग लाइसेन्स धारी ड्राइवर की मृत्यु होती है, तो उनके आश्रित परिवार द दर की ठोकरे खाते घूमते हैं। यदि जैसे रजिस्टर्ड श्रमिकों को दुर्घटना बीमा दिए जाने का प्रावधान है, उ प्रकार लाइसेन्स धारी ड्राइवरों को भी दुर्घटना बीमा योजना दिया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से मांग करता हूँ कि देश में ड्राइवर दुर्घटना बीमा योजना लागू कराने का कष्ट करें।